

पत्रावली कायदा के तहत हुए बार द्वारा 500 सा. अन्य कार्य में व्यस्त हो
कर पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 20.6.22 को
पेश की जावे ३३

23.5.22 पत्रावली केम्प या रसोली में पेश हुई
प्रकरण में आयसी सहमति नहीं होने से कोई
आदेश नहीं हो सका है। पत्रावली पूर्वानुसार
दि. 20.6.22 को पेश हो।

20.6.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपस्थित नहीं
पत्रावली में वकील प्राधी व प्राधी गण को न्यायालय
में तीन अवाजे लगाई गई किन्तु उपस्थित नहीं
होने से प्रा. पत्र अ. धा. 128 & R.A का अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।